

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

प्रेस-विज्ञप्ति

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 40-नौगावां सादात (जनपद-अमरोहा), 65-बुलंदशहर (जनपद-बुलंदशहर), 95-टूण्डला (अ0जा0) (जनपद-फिरोजाबाद), 162-बांगरमऊ (जनपद-उन्नाव), 218-घाटमपुर (अ0जा0) (जनपद-कानपुर नगर), 337-देवरिया (जनपद-देवरिया) तथा 367-मल्हनी (जनपद-जौनपुर) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम नियत किया गया है :-

(1) निर्वाचन की अधिसूचना का दिनांक-	09.10.2020 (शुक्रवार)
(2) नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक-	16.10.2020 (शुक्रवार)
(3) नाम निर्देशनों की जांच हेतु दिनांक-	17.10.2020 (शनिवार)
(4) नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक-	19.10.2020 (सोमवार)
(5) मतदान का दिनांक	03.11.2020 (मंगलवार)
(6) मतगणना का दिनांक---	10.11.2020 (मंगलवार)
(7) वह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जायेगा-	12.11.2020 (बृहस्पतिवार)

2- उक्त उप निर्वाचन के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता के सुसंगत उपबन्ध जनपद अमरोहा, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, उन्नाव, कानपुर नगर, देवरिया तथा जौनपुर में आयोग के निर्देश संख्या-437/6/आईएनएसटी/2016-सीसीएस दिनांक 29 जून, 2017 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार लागू हो गये हैं।

लखनऊ:

दिनांक: 29 सितम्बर, 2020

A.K. Shukla,

(अजय कुमार शुक्ला)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या: 614(1)/सीईओ-2-तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष/महामंत्री, समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, मुरादाबाद, मेरठ, आगरा, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर तथा वाराणसी।
4. जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, उन्नाव, कानपुर नगर, देवरिया तथा जौनपुर।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को 25 अतिरिक्त प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रेस नोट को समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।
7. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।

(अवनीश सक्सेना)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।